कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813

पत्रांक : 01/यो0बजट–31/2015–665 **दिनांक : 16.05.2017**

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची/
वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची

विषय :– वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2021–21 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली ''प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना'' (पुरानी–वन सर्वेक्षण कार्य नियोजना, शोध एवं मूल्यांकन योजना) (अन्य व्यय) के अंतर्गत साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु ट्रायल वनरोपण एव विभिन्न मॉडल द्वारा बाँस वनों में कंजेक्शन हटाना तथा सकल से सीसल एवं बुलबिल वृक्षारोपण का तुल्नात्मक अध्ययन का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) के लिए कुल **रू0 14.014 लाख (चौदह लाख एक हजार चार सौ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंगः– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट–50/2015–08/ व0प0 दिनांक 12.06.2015 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट– 50/2015–20/आ0 व0प0 दिनांक 04.04.2017 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष– 01 वानिकी, लघु शीर्ष– 101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष– 60 '' प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार, अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना'' के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रू0 14.014 लाख (चौदह लाख एक हजार चार सौ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101600103	13.302
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101600323	0.712
कुल :–		**14.014**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के **अनुलग्नक–1 (क) एवं (ख)** पर वर्णित वन संरक्षक, होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक–2 (क) से (ग)** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक–3** एवं पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या– 19S240601101600103 तथा 19S240601101600323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परितर्वन विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची तथा मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेख हेतु प्रेषित करेंगे।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं हो।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जयेगा कि किसी भी परिस्थति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा तत्सम्बन्धी पत्र परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

8. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी दर में मजदूरों को भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

12. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार में अनुमोदित दर पर

किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0–2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

14. यह योजना वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2021–22 के लिए सरकार से स्वीकृत है जिसका द्वितीय वर्ष का रख–रखाव कार्य हेतु राशि उप आवंटित की जा रही है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वर्त्तमान में वनरोपण स्थल पर पौधों की उत्तरजीविता के अनुरूप ही राशि का व्यय सुनिश्चित करेंगे।

<u>**अनुलग्नक :– यथोक्त**</u> ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01 / यो0बजट–31 / 2015–665** दिनांक– **16.05.2017**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची / मुख्य वन संरक्षक, शोध, झारखण्ड, राँची / इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>**अनुलग्नक :– यथोक्त**</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01 / यो0बजट–31 / 2015–665** दिनांक– **16.05.2017**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>**अनुलग्नक :– यथोक्त**</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1 (क)

वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2020–21 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली ''वन सर्वेक्षण कार्य नियोजना, शोध एवं मूल्यांकन'' योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत साल एवं उसके सहयोगी पौधों का शोध हेतु ट्रायल वनरोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :– वन संरक्षक, वनरोपण, शोध एवं मूल्यांकन, राँची

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	कार्य विवरणी / भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2017–18 (तृतीय वर्ष)		
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	vi	vii	viii
1	शोध एवं मूल्यांकन प्रक्षेत्र, महेश्पुर में साल पौधों का ट्रायल वनरोपण, (10 हे0)	3.805	0.216	**4.021**
2	शोध एवं मूल्यांकन प्रक्षेत्र, देवघर में साल पौधों का ट्रायल वनरोपण (10 हे0)	3.805	0.216	**4.021**
3	शोध एवं मूल्यांकन प्रक्षेत्र, गम्हरिया में साल पौधों का ट्रायल वनरोपण (10 हे0)	3.805	0.216	**4.021**
	योग :–	**11.415**	**0.648**	**12.063**

अनुलग्नक–1 (ख)

वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2018–19 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में कार्यान्वित की जाने वाली ''वन सर्वेक्षण कार्य नियोजना, शोध एवं मूल्यांकन'' योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत विभिन्न मॉडल द्वारा बाँस वनों में कंजेशन हटाना, सकर से सीसल एवं बुलबिल वृक्षारोपण का तुलनात्मक अध्ययन का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) का प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य :–

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :– वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	कार्य विवरणी / भौतिक लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2017–18 (तृतीय वर्ष)		
		मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	vi	vii	viii
1	विभिन्न मॉडल द्वारा बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन–वर्द्धन कार्यों के प्रभाव का अध्ययन (24 हे0)	1.434	0.005	**1.439**
2	सकर से सीसल वृक्षारोपण एवं बुलबिल वृक्षारोपण का तुलनात्मक अध्ययन हेतु प्रस्ताव	0.453	0.059	**0.512**
	योग :–	**1.887**	**0.064**	**1.951**
	सकल योग :–	**13.302**	**0.712**	**14.014**

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–50/2015– 08/स्वी0 व0प0 दिनांक 12.06.2015

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची